



// कार्यालय ज्ञाप //

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उनके शैक्षणिक भविष्य के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत किये गये कार्यालय ज्ञाप पत्रांक : 2453 / पत्रा0सं0-1467 / DSMNRU / शुल्क निर्धारण / 2022-23 दिनांक: 07 दिसम्बर, 2022 को संशोधित करते हुये अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु पाठ्यक्रम सम्बन्धित शुल्क जमा नहीं किया गया है, उन विद्यार्थियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को विलम्ब शुल्क धनराशि रु० 500/- एवं गैर-व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को धनराशि रु० 300/- के विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक-31 दिसम्बर, 2022 तक शुल्क अनिवार्य रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित तिथि के पश्चात् शुल्क सम्बन्धी किसी भी प्रकार का प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं होगा तथा उपरोक्तानुसार निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क न जमा किये जाने पर विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(अनिल कुमार मिश्रा)
उप कुलसचिव

पत्रांक-2608 / पत्रा0सं0-1467 / DSMNRU / शुल्क निर्धारण / 2022-23

दिनांक: 24 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
5. समस्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. समस्त विभागों में सम्बद्ध पटल सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की अधिसत्र/सत्रवार शुल्क प्राप्ति का विवरण तैयार करते हुए उसकी एक-एक प्रति लेखानुभाग/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-मोहान रोड को इस आशय से कि विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु जमा किये जाने वाले शुल्क के चालान को विभागीय कार्यालय की अद्यतन पुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित खाते में जमा करने का कष्ट करें।
9. विश्वविद्यालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

(अनिल कुमार मिश्रा)
उप कुलसचिव